भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3553

जिसका उत्तर दिनांक 22.03.2023 को दिया जाना है

समुद्र तट रेत खनिज

3553. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी :
श्री मारगनी भरत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में समुद्र तट रेत खनिजों की संभाव्यता की जानकारी है और इससे राष्ट्र के विकास में किस तरीके से सहायता मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा समुद्र तट रेत खनिजों के खनन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम के पक्ष में समुद्र तट रेत खनिज क्षेत्रों को आरक्षित करने के आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) जी, हां। सरकार को ज्ञातव्य है कि नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में पुलिन बालू खनिजों की संभाव्यता और राष्ट्र के विकास में मदद मिलेगी। पूलिन बालू (बीएसएम) अयस्क में मोनाज़ाइट होता है, जोकि परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अनुसार एक निर्धारित पदार्थ है। मोनाज़ाइट में थोरियम, यूरेनियम और विरल मृदा तत्व (आरई) होते हैं। आरई के निष्कर्षण और इसके परिष्करण के बाद, नियोडिमियम और प्रेजोडिमियम का उत्पादन होता है जो नवीकरणीय ऊर्जा में उपयोगी होते हैं।

(ख) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड, परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के अधीन गठित एक सीपीएसई है जिसके पास बीएसएम अयस्क का खनन करने, सांद्रण करने और उसे

मोनाज़ाइट का उत्पादन करने के लिए, आरई निष्कर्षण के लिए मोनाज़ाइट को तोड़ने और पृथक उच्च परिष्कृत आरई का उत्पादन करने की क्षमताएं है।

10,000 टन मोनाज़ाइट प्रक्रम के लिए एक संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 5,000 टन परिष्कृत आरई ऑक्साइड (आरईओ) का उत्पादन होगा। हालांकि, मौजूदा खनन पट्टे, संयंत्र की लगभग 40% मोनाज़ाइट भरण आवश्यकता को पूरा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 2,000 टन आरईओ का उत्पादन होता है।

डीएई ने आईआरईएल को तीन अन्य पट्टों के लिए नामित किया है। राज्य सरकार द्वारा इन खनन पट्टों के कार्यान्वयन से मौजूदा संयंत्र के भरण की आवश्यकता को पूरा करेगा।

(ग) व (घ) जी, हां। परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) विशाखापट्टनम जिले के भीमुनिपट्टनम निक्षेप में 90.15 हेक्टेयर और कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम निक्षेप में 1978.471 हेक्टेयर के लिए खनन पट्टा प्रदान करने के लिए मेसर्स एपीएमडीसी को एक संभावित पट्टेदार के रूप में पहले ही नामित कर चुका है। अब, आंध्र प्रदेश सरकार ने उपर्युक्त मछलीपट्टनम निक्षेप के स्थान पर श्रीकाकुलम जिले में श्रीकुरमम निक्षेप संबंधी दो प्रस्तावों (670.77 हेक्टेयर और 239.08 हेक्टेयर) के लिए मेसर्स एपीएमडीसी को संभावित पट्टेदार के रूप में नामित करने के लिए एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विभाग द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

* * * * *